न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
463 / 2022	29.11.2023	26.02.2024

उनवान

1. उदा आत्मज श्री भूरा कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मोती आत्मज श्री भूरा कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. .अम्बा आत्मज श्री रतना कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. घीसी बाई पत्नि श्री हीरा कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. रतन आत्मज श्री भैरू कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शंकर आत्मज श्री हीरा कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. जगदीश आत्मज श्री लादु कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. लादु आत्मज श्री रामा कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. भैरू आत्मज श्री रामचन्द्र कुमावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. नन्दा आत्मज श्री देवा गाडरी, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. केसर सिंह आत्मज श्री भोपाल सिंह शेखावत, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. अशोक आत्मज श्री उगम लाल लोढ़ा, आयु वयस्क, निवासी बोरड़ा पोस्ट आटूण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

12. कैलाश आत्मज श्री चतरभुज कुमावत, आयु वयस्क, निवासी–हजारी खेड़ा, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी राकेश जैन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोरड़ा प0ह0 गठिलाखेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 550 की अभिलिखित आराजियात 1169, 1539/1155, 1545/1162, 1549/333, 1553/335, 1554/1166, 1556/1167, 1560/291, 1563/311, 1569/334, 309 कुल किता 11 कुल रकबा 2.0235 हैक्टेयर व खाता संख्या 550 में आराजी संख्या 351, 1571/350 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3415 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बोरड़ा प0ह0 गठिलाखेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 550 की अभिलिखित आराजियात 1169, 1539/1155, 1545/1162, 1549/333, 1553/335, 1554/1166, 1556/1167, 1560/291, 1563/311, 1569/334, 309 कुल किता 11 कुल रकबा 2.0235 हैक्टेयर व खाता संख्या 550 में आराजी संख्या 351, 1571/350 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3415 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाहीं अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

(आव्हाड निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा